

न्यायालय : प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड,
मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 1137 / 2015 इ.फौ.

संस्थापन दिनांक : 07.12.2015

म.प्र.राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद, जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1—गिराज थापक पुत्र कमलेश थापक, आयु—38 वर्ष,
निवासी—न्यू शकुन्तलापुरी, आशीर्वाद इन्कलेव के पास,
ठाठीपुर, मुरार, ग्वालियर, म0प्र0

— अभियुक्त

(आरोप अंतर्गत धारा 279, 338 भा0दं0सं0)

(राज्य द्वारा एडीपीओ— श्री प्रवीण सिकरवार)

(आरोपी द्वारा अधिवक्ता—श्री हृदेश शुक्ला)

निर्णय

(आज दिनांक— 06.02.2018 को घोषित)

1. आरोपी पर दिनांक 21.09.15 को रात्रि लगभग आठ बजे फरियादी शिवकुमार कटारे के मकान के सामने बड़ा बाजार गोहद में लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन मारुति इको क्रमांक एम पी 07 सीडी 2778 को उपेक्षा उथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुये आहत अंकित में टककर मार कर उसे अस्थिभंग कारित कर उसे गंभीर उपहति कारित करने हेतु भा द स. की धारा 279 एवं 338 के अंतर्गत आरोप है।
2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 21.09.15 की रात्रि करीबन आठ बजे फरियादी शिवकुमार का लडका अंकित मकान के सामने रोड पर निकला था तभी किले की तरफ से एक गाडी मारुति इको क्रीम कलर का चालक गाडी को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया था और उसके लडके अंकित में टककर मार दी थी जिससे अंकित गिर पडा था एवं अंकित के मुंह, कान, कनपटी, आँख एवं सिर में चोटे आयी थी तथा खून निकला था। गाडी चालक गाडी को लेकर जाने लगा था। मौके पर राघवेन्द्र शर्मा एवं रामहेत गुर्जर ने घटना देखी

थी। गाड़ी का नम्बर एम पी 07 सी डी 2778 मारुति इको गिराज द्वारा चलाना बताया था। वह अपने लड़के अंकित को लेकर इलाज कराने अस्पताल गोहद गया था फिर वह अपने लड़के को इलाज के लिये बिरला अस्पताल ले गया था। फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट थाना गोहद में की गयी थी। फरियादी के रिपोर्ट पर पुलिस थाना गोहद में अप0 क्रमांक 313/15 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे। आरोपी को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्त अनुसार आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपी को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।
4. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निदोष है एवं उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये हैं:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 21.09.15 को रात्रि लगभग आठ बजे फरियादी शिवकुमार कटारे के मकान के सामने बड़ा बाजार गोहद में लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन मारुति इको क्रमांक एम पी 07 सी डी 2778 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?
2. क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर मारुति क्रमांक एम पी 07 सी डी 2778 को उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाते हुये आहत अंकित में टक्कर मारकर उसे अस्थिभंग कारित कर उसे गंभीर उपहति कारित की?
6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी शिवकुमार अ.सा. 1, राघवेन्द्र शर्मा अ.सा. 2, डॉ संकेत श्रीवास्तव अ.सा. 3, रामहेत अ.सा. 4 एवं प्रधान आरक्षक प्रमोद पावन अ.सा. 5 को परीक्षित कराया गया है, जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण
विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 एवं 2

7. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये उक्त दोनो विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
8. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में फरियादी शिवकुमार अ.सा. 1 ने

न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग देढ़ वर्ष पूर्व रात्रि आठ बजे की है। उसका लडका अंकित मकान के सामने रोड पर निकला था तो सामने से एक कार ने आकर उसके लडके अंकित के टक्कर मार दी थी। टक्कर लगने से उसके लडके की ठोड़ी, बाँये कान, कनपटी एवं सिर में चोटें आयी थी। चालक अपनी गाडी को लेकर चला गया था। उसने अपने बच्चे का बिरला अस्पताल ग्वालियर में इलाज कराया था। उक्त गाडी का नम्बर एम पी 07 सी डी 2778 था। उसने घटना की रिपोर्ट थाना गोहद में की थी जो प्र पी 1 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शामौका प्र पी 2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि दिनांक 21.09.15 को मारुति इको क्रीम कलर की कार के चालक ने कार को तेजी व लापरवाही से चलाकर उसके लडके में टक्कर मार दी थी एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उक्त कार को आरोपी गिराज चला रहा था। उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से भी इंकार किया है कि हाजिर अदालत आरोपी वही व्यक्ति है जिसने घटना दिनांक को उसके लडके अंकित के टक्कर मारी थी।

9. साक्षी राघवेन्द्र शर्मा अ.सा. 2 ने भी अपने कथन में कार क्रमांक एम पी 07सी डी 2778 के चालक द्वारा कार को तेजी व लापरवाही से चलाते हुये बच्चे के टक्कर मार देने बाबत प्रकटीकरण किया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि गाडी को आरोपी गिराज चला रहा था।
10. साक्षी रामहेत अ.सा. 4 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं घटना की जानकारी ना होना बताया गया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं किया है।
11. डॉ० संकेत श्रीवास्तव अ.सा. 3 ने रिपोर्ट प्र पी 5 को प्रमाणित किया है एवं प्रधान आरक्षक प्रमोद पावन अ.सा. 5 ने विवेचना को प्रमाणित किया है।
12. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। अतः अभियोजन घटना प्रमाणित नहीं है।
13. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी शिवकुमार अ.सा. 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन उसका लडका अंकित मकान के सामने रोड पर निकला था तो कार क्रमांक एम पी 07 सी डी 2778 ने उसके लडके को टक्कर मार दी थी जिससे उसके लडके के शरीर में चोटें आयी थी। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि दुर्घटना कारित करने वाली कार को आरोपी गिराज चला रहा था एवं इस तथ्य से भी इंकार किया है कि आरोपी गिराज ने घटना दिनांक को उसके लडके अंकित के टक्कर मारी थी। इस प्रकार फरियादी शिवकुमार अ.सा. 1 ने घटना दिनांक को उसके लडके अंकित का कार

क्रमांक एम पी 07 सी डी 2778 से टक्कर होना तो बताया है परंतु यह नहीं बताया है कि दुर्घटना कारित करने वाली कार को कौन चला रहा था। उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपी गिर्राज ने उसके लडके अंकित के टक्कर मारी थी। फरियादी शिवकुमार अ.सा. 1 द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है एवं आरोपी द्वारा दुर्घटना कारित करने के तथ्य से इंकार किया गया है। अतः उक्त साक्षी के कथनो से यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी गिर्राज ने कार क्रमांक एम पी 07 सी डी 2778 को तेजी व लापरवाही से चलाते हुये अंकित के टक्कर मार दी थी।

14. साक्षी राघवेन्द्र शर्मा अ.सा. 2 ने भी अपने कथन में यह तो बताया है कि कार क्रमांक एम पी 07 सी डी 2778 के चालक ने कार को तेजी व लापरवाही से चलाते हुये उसके मामा के लडके के टक्कर मार दी थी, परंतु उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि कार क्रमांक एम पी 07 सी डी 2778 को कौन चला रहा था, वह नहीं बता सकता है, क्योंकि उसने चालक को नहीं देखा था। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर भी उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि गाडी को आरोपी गिर्राज चला रहा था। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि वह आरोपी गिर्राज को नाम व शक्ल से नहीं जानता है तथा उसने मौके पर चालक को नहीं देखा था। इस प्रकार साक्षी राघवेन्द्र शर्मा अ.सा. 2 ने भी अपने कथन में एकसीडेन्ट होना तो बताया है परंतु यह नहीं बताया है कि दुर्घटना के वक्त आरोपित कार को कौन चला रहा था। उक्त साक्षी ने भी आरोपी की पहचान नहीं की है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है। अतः उक्त साक्षी के कथनो से भी आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होता है।
15. साक्षी रामहेत अ.सा. 4 द्वारा भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं घटना के संबंध में कोई जानकारी ना होना बताया गया है। उक्त साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है। अतः उक्त साक्षी के कथनो से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।
16. डॉ० संकेत श्रीवास्तव अ.सा. 3 द्वारा आहत अंकित की चिकित्सीय रिपोर्ट प्र पी 5 को प्रमाणित किया गया है एवं प्रधान आरक्षक प्रमोद पावन अ.सा. 5 द्वारा विवेचना को प्रमाणित किया गया है। उक्त साक्षी प्रकरण के औपचारिक साक्षी है। अतः प्रकरण में आयी साक्ष्य को देखते हुये उक्त साक्षीगण की साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।
17. समग्र अवलोकन से यह दर्शित है कि प्रकरण में फरियादी शिवकुमार अ.सा. 1, राघवेन्द्र शर्मा अ.सा. 2 एवं रामहेत शर्मा अ.सा. 4 द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। डॉ० संकेत श्रीवास्तव अ.सा. 3 एवं प्रधान आरक्षक प्रमोद पावन अ.सा. 5 प्रकरण के औपचारिक साक्षी है। उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह दर्शित होता हो कि घटना दिनांक को आरोपी गिर्राज ने आरोपित कार क्रमांक एम पी 07 सी डी 2778 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर आहत अंकित को

टक्कर मार कर वाहन दुर्घटना कारित की थी। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

18. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरुद्ध अपना मामला प्रमाणित करे यदि अभियोजन आरोपी के विरुद्ध मामला प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपी की दोषमुक्ति उचित है।
19. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 21.09.15 को रात्रि लगभग आठ बजे फरियादी शिवकुमार कटारे के मकान के सामने बड़ा बाजार गोहद में लोक मार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन मारुति इको क्रमांक एमपी 07 सीडी 2778 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुये आहत अंकित में टक्कर मार कर उसे अस्थिभंग कारित कर उसे गंभीर उपहति कारित की। फलतः यह न्यायालय साक्ष्य के अभाव में आरोपी गिराज थापक को भा0द0सं0 की धारा 279 एवं 338 के आरोप से दोषमुक्त करती है।
20. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।
21. प्रकरण में जप्तशुदा कार क्रमांक एम पी 07 सी डी 2778 पूर्व से उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है। अतः उसके संबंध में सुपुर्दगीनाम अपील अवधि पश्चात निरस्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशो का पालन किया जावे।

स्थान-गोहद

दिनांक :- 06.02.18

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,
खुले न्यायालय में घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

सही / -

सही / -

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)